



भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण का स्थापना दविस

प्रीलिमिंस के लयि:

भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण

मेन्स के लयि:

सीमा प्रबंधन से संबंधति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में नई दलिली में भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण (Land Ports Authority of India-LPAI) के 8वें स्थापना दविस का आयोजन कयिा गया ।

प्रमुख बदि

- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नतियानंद राय ने कार्यक्रम को संबोधति करते हुए सीमा पार वयापार की सुवधिा हेतु सीमावर्ती बुनयिादी ढाँचे के नरिमाण और भारत की भूमि सीमाओं पर यात्रा हेतु कयिे गए उत्कृष्ट कार्य के लयिे LPAI की सराहना की ।
- ज्जात हो कभारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण (LPAI) ने करतारपुर साहबि कॉरडिोर में यात्री टर्मनल भवन के नरिमाण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी ।

करतारपुर गलयिारा

गुरुद्वारा दरबार साहबि, करतारपुर पाकसितान में रावी नदी के तट पर स्थति है और पाकसितान में भारत-पाकसितान सीमा से लगभग 3-4 कमी. दूर है । यह भारत के गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नानक से लगभग 4 कमी. दूर है और पाकसितान के लाहौर से लगभग 120 कमी. उत्तर-पूर्व में है । कहा जाता है कसिखि समुदाय के पहले गुरु ने अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण वर्ष यहाँ गुज़ारे जसिके कारण यह स्थान सखि धर्म के अनुयाययिों के लयिे काफी महत्त्वपूर्ण है । भारतीय सखि तीर्थयात्रयिों के लयिे करतारपुर साहबि की ओर जाने वाले गलयिारे को खोलने की मांग भारत द्वारा कई अवसरों पर उठाई जाती रही है । इसके पश्चात् नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय केंद्रीय मंत्रमिंडल ने वर्ष 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाने का प्रस्ताव पारति कयिा और साथ ही गुरदासपुर जलिले में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलयिारे के नरिमाण और वकिसा को मंजूरी दी गई ।

- इस अवसर पर आयोजति कार्यक्रम में भूमिपत्तन से संबंधति वभिनिन पहलुओं जैसे- यात्रा और क्षेत्रीय संपर्क, एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) पर कारगो संचालन में चुनौतयिाँ और एकीकृत चेक पोस्ट के बुनयिादी ढाँचे संबंधी आवश्यकताएँ आदिपर चर्चा की गई ।

भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण

(Land Ports Authority of India)

- भारत की अफगानसितान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्याँमार, नेपाल और पाकसितान के साथ लगभग 15000 कलिोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है । सीमा क्षेत्र में वभिनिन स्थानों पर वयकतयिाँ, माल और वाहनों के आवागमन के लयिे कई नरिदषि्ट प्रवेश और नकिसा स्थान हैं ।
- इस संबंध में वभिनिन सरकारी कारयों जैसे- सुरक्षा, आवर्जन और सीमा शुल्क आदिके समन्वय तथा नयितरण हेतु 1 मार्च, 2012 को भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण (LPAI) की स्थापना की गई थी ।
- भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण (LPAI) सीमा प्रबंधन वभिाग, गृह मंत्रालय के अधीन एक सांवधिकि नकिया है ।
- भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण अधनियम, 2010 की धारा 11 के तहत LPAI को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में नरिदषि्ट बदिुओं पर यात्रयिाँ और सामानों की सीमा पार आवाजाही के लयिे सुवधिाओं को वकिसति एवं प्रबंधति करने की शक्तयिाँ प्रदान की गई हैं ।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2003 में व्यक्तियों, वाहनों और सामानों की सीमा पार आवाजाही के लिये अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे पर चर्चा व्यक्त करते हुए सचिवी स्तर की एक समिति ने भारत की भूमि सीमाओं के प्रमुख प्रवेश बंदियों पर एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) स्थापित करने की सिफारिश की। इसके पश्चात् इस कार्य को करने के लिये एक स्वायत्त एजेंसी की संरचना की सिफारिश करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी कार्यदल का गठन किया गया। अंतर-मंत्रालयी कार्यदल ने विभिन्न वकिलों पर विचार कर ICPs के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव के लिये एजेंसी हेतु सबसे उपयुक्त मॉडल के रूप में एक सांविधिक निकाय की सिफारिश की। इस प्रकार भारतीय भूमिपतन प्राधिकरण (LPAI) का गठन किया गया।

प्राधिकरण के कार्य

भारतीय भूमिपतन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 11 की उप-धारा (2) में भारतीय भूमिपतन प्राधिकरण के विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया गया है:

- एकीकृत चेक पोस्ट पर राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और रेलवे के अतिरिक्त सड़कों, टर्मिनलों एवं सहायक भवनों की योजना, निर्माण तथा रखरखाव करना;
- एकीकृत चेक पोस्ट पर संचार, सुरक्षा, माल की हैंडलिंग और स्कैनिंग उपकरणों को खरीदना, स्थापित करना और उनका रखरखाव करना;
- एकीकृत चेक पोस्ट पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था करना;
- प्राधिकरण को सौंपे गए किसी भी कार्य के निर्वहन के लिये संयुक्त उपक्रम स्थापित करना।

स्रोत: पी.आई.बी

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/foundation-day-of-land-ports-authority-of-india>

